न्यायालय उपखण्ड अधिकारी ,रानीवाडा, जिला–जालोर

पीठासीन अधिकारी श्री भागीरथ राम , आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 01/2023

प्रार्थीगण — **बनाम** — **अप्रार्थीगण**

प्रार्थीगण

1. जीनादेवी पत्नि बाबूलाल जाति नट निवासी रानीवाड़ा कलां
2. लक्ष्मीदेवी पत्नि भंवरलाल जाति मेघवाल निवासी डोडवाडिया तहसील रानीवाड़ा जिला सांचौर

बनाम

अप्रार्थीगण

1. अमराराम पुत्र पुनमा
2. अर्जुनलाल पुत्र पुनमा
3. उगरा पुत्र वना
4. जेरा पुत्र वना
5. ठकराराम पुत्र पुनमा
6. प्रतापा पुत्र वना
7. पातीया पुत्र वना
8. रेखा पुत्री पुनमा
9. वादलीदेवी पत्नि पुनमा
10. काली पुत्री दरगा
11. दाड़ी पुत्री दरगा
12. पंखुबेन पुत्री मावाराम
13. मथुराराम पुत्र दरगा
14. ईश्वर पुत्र सोपू
15. गीतादेवी पत्नि नरेशभाई
16. दिनेश पुत्र नरेश भाई
17. नीरू पुत्री नरेश भाई
18. मुकेश पुत्र नरेशभाई
19. राकेश पुत्र रमेश भाई
20. वर्षा पुत्री नरेश भाई
21. हितेश भाई पुत्र रमेश भाई जातियान मेगवंशी निवासीयान रानीवाड़ा खुर्द तहसील रानीवाड़ा जिला सांचौर
22. भूमिधारी तहसीलदार रानीवाड़ा जिला सांचौर

अन्तर्गत धारा 111,128 राज0 भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थिति :–

1. प्रार्थीगण अधिवक्ता श्री जानु प्रशांत।
2. अप्रार्थी संख्या 22 भूमिधारी तहसीलदार रानीवाडा।

–: निर्णय :–

दिनांक – 04.01.2024

1. प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थीगण के विरूद्व अंतर्गत धारा 111,128 राज0 भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, जिसके तथ्य संक्षेप में प्रार्थना पत्र के अनुसार इस प्रकार है कि सरहद मौजा रानीवाड़ा खुर्द तहसील रानीवाड़ा में प्रार्थीगण की खातेदारी आराजी खसरा नंबर 2985/1036 रकबा 0.63 हैक्टेयर आई हैं। जिसकी खातेदारी वर्तमान राजस्व रेकर्ड में जीनादेवी पत्नि बाबूलाल हिस्सा 1/2 जाति नट सा. रानीवाड़ा कलां खातेदार व लक्ष्मीदेवी पत्नि भंवरलाल हिस्सा 1/2 जाति मेघवाल सा. डोडवाडिया खातेदार दर्ज हैं। प्रार्थीगण की उपरोक्त वर्णित खातेदारी आराजी खसरा नंबर 2985/1036 के पड़ौस में पूर्व दिशा में अप्रार्थी संख्या 1 से 9 की खातेदारी आराजी खसरा नंबर 1033 रकबा 0.03 हैक्टेयर खसरा नंबर 1034 रकबा 0.01 हैक्टेयर खसरा नंबर 1035 रकबा 0.03

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagirath Ram
Date: 2024.02.02 14:37:47 IST
Reason: SelfAttested

हैक्टेयर जुमले रकबा 0.07 हैक्टेयर आई हुई हैं। जिसकी खातेदारी वर्तमान राजस्व रेकर्ड में अप्रार्थी संख्या 1 से 9 के नाम से दर्ज हैं तथा प्रार्थीगण की उक्त आराजी खसरा नंबर 2985/1036 के दक्षिण दिशा में अप्रार्थी संख्या 10 से 13 की खातेदारी आराजी खसरा नंबर 2984/1036 रकबा 0.63 हैक्टेयर आई हुई हैं जिसकी खातेदारी राजस्व रेकर्ड में अप्रार्थी संख्या 10 से 13 के नाम दर्ज हैं तथा प्रार्थीगण की उक्त आराजी खसरा नंबर 2985/1036 के उतर दिशा में अप्रार्थी संख्या 14 से 21 की खातेदारी खसरा नंबर 2986/1036 रकबा 0.63हैक्टेयर आई हुई हैं जिसकी खातेदारी राजस्व रेकर्ड में अप्रार्थी संख्या 14 से 21 के नाम दर्ज हैं तथा प्रार्थीगण की उक्त आराजी खसरा नंबर 2985/1036के उतर पूर्व दिशा में अप्रार्थी संख्या 1,2 व 4 से 9 की खातेदारी आराजी खसरा नंबर 2981/1032 रकबा 0.43हे., खसरा नंबर 2987/1036 रकबा 0.03हैक्टेयरआई हुई हैं। जिसकी खातेदारी अप्रार्थी संख्या 1,2 व 4 से 9 के नाम दर्ज हैं।

2. प्रार्थीगण की आराजी खसरा नंबर 2985/1036 व अप्रार्थी संख्या 1 से 21 की खातेदारी आराजीयान खसरा नंबर 1033, 1034, 1035, 2984/1036, 2987/1036, 2981/1032, 2987/1036 की सीमा को लेकर विवाद हैं। उक्त सीमा विवाद को लेकर अप्रार्थी संख्या 1 से 21 प्रार्थीगण से सीमा पर हमेशा विवाद करते रहते हैं। सीमा को लेकर विवाद होने पर प्रार्थीगण द्वारा श्रीमान तहसीलदार साहब रानीवाड़ा से उक्त आराजी की पैमाईश करवाने हेतु एक प्रार्थना पत्र पेश किया था। जिस पर श्रीमान तहसीलदार साहब ने अपने आदेश क्रमांक 103 दिनांक 15.11.52022 के जरिये उक्त भूमि की पैमाईश करने के आदेश दिये गये थे उक्त आदेश की पालना में हल्का पटवारी रानीवाड़ा खुर्द दिनांक 21.11.2022 को प्रार्थीगण की उपस्थिति में मौके पर सीमाज्ञान के लिए पहुंचे, मौके पर खातेदारी आराजी की पैमाईश शुरू की गई। मुस्तकील बिन्दू से जरीब चलाना शुरू किया तभी पड़ौसी खातेदारों ने सीमाज्ञान को रूकवा दिया। इस प्रकार सीमज्ञान को नहीं करवाया जा सका। मौके पर विवाद की स्थिति होने से सीमाज्ञान को रोक दिया, मौका फर्द मौके पर बनाई जाकर मौके पर उपस्थितान के अगूंठा निशानात व हस्ताक्षर करवाये गये। इस प्रकार हल्का पटवारी रानीवाड़ा द्वारा श्रीमान तहसीलदार साहब रानीवाड़ा के आदेश की सही रूप से पालना नहीं की जा सकी। हल्का पटवारी रानीवाड़ा खुर्द की मौका रिपोर्ट दिनांक 21.11.2022 संलग्न प्रार्थना पत्र पेश हैं।

3. प्रार्थीगण की आराजी खसरा नंबर 2985/1036 व अप्रार्थी संख्या 1 से 15 की खातेदारी आराजीयान खसरा नंबर 1033, 1034, 1035, 2984/1036, 2987/1036, 2981/1032, 2987/1036 की सीमा को लेकर अप्रार्थी संख्या 1 से 21 प्रार्थीगण से सीमा पर विवाद करते रहते है। इसलिए प्रार्थीगण अपने नाम की खातेदारी आराजी खसरा नंबर 2985/1036 व अप्रार्थी संख्या 1 से 21 की खातेदारी आराजी खसरा नंबर 1033, 1034, 1035, 2984/1036, 2987/1036, 2981/1032, 2987/1036 की पैमाईश कर प्रार्थीगण की खातेदारी की खातेदारी आराजी व अप्रार्थी संख्या 1 से 21 की खातेदारी आराजी की बीच की सीमा का सीमांकन कर स्थाई चिन्ह पत्थर गड्डी करवाने के प्रार्थीगण अधिकारी हैं।

अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर श्रीमानजी से निवेदन हैं कि सरहद मोजा रानीवाड़ा खुर्द तहसील रानीवाड़ा में स्थित प्रार्थीगण की खातेदारी खसरा नंबर 2985/1036 रकबा 0.63 हैक्टेयर व अप्रार्थी संख्या 1 से 9 की खातेदारी आराजी मौजा रानीवाड़ा खुर्द तहसील रानीवाड़ा के खसरा नंबर 1033 रकबा 0.03हे., खसरा नंबर 1034 रकबा 0.01 हे., खसरा नंबर 1035 रकबा 0.03हैक्टेयर जुमले रकबा 0.07 हे, तथा अप्रार्थी संख्या 10 से 13 की खातेदारी आराजी मौजा रानीवाड़ा खुर्द के

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagirath Ram
Date: 2024.02.02 14:37:47 IST
Reason: SelfAttested

खसरा नंबर 2984/1036 रकबा 0.63 हैक्टेयर तथा अप्रार्थी संख्या 14 से 21 की खातेदारी मौजा रानीवाड़ा खुर्द के खसरा नंबर 2986/1036 रकबा 0.63हैक्टेयर व अप्रार्थी संख्या 1,2 व 4 से 9 की खातेदारी आराजी मौजा रानीवाड़ा खुर्द के खसरा नंबर 2981/1032 रकबा 0.43 हे., खसरा नंबर 2987/1036 रकबा 0.03 हैक्टेयर की सीमा का सीमांकन कर स्थाई सीमा चिन्ह पत्थर गड्डी करने के आदेश फरमावे।

4. प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गए। अप्रार्थी संख्या 1 से 21 की ओर से बाद तामिल नोटिस कोई उपस्थित नहीं होने से इनके विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही की गई। अप्रार्थी संख्या 22 राजपेरोकार द्वारा जवाब नहीं देने से जवाब बंद किया गया।

5. हमने प्रार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता व राजपेरोकार की बहस सुनी गई। पत्रावली मे पेश प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र व संलग्न दस्तावेज का अवलोकन करने व प्रार्थीगण व के विद्वान अधिवक्ता व राजपेरोकार के बहस के तथ्यों पर मनन करने पर पाया कि प्रार्थीगण द्वारा दिनांक 21.11.2022 को तहसीलदार रानीवाडा से सीमांकन करवाने पर मौजा रानीवाडा खुर्द के खसरा नम्बर 2985/1036 रकबा 0.63 हैक्टेयर आराजी के माठों पर विवाद होने से सीमाकंन नहीं किया गया, तथा राजपेरोकार ने बहस में सीमाविवाद होना स्वीकार किया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत मौका फर्द में भी मौके पर सीमाविवाद होना प्रतीत होता है। ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण मौके पर सीमा विवाद के समाधान हेतु पत्थरगढ़ी करवाना चाहते है। अतः मौजा रानीवाडा खुर्द के खसरा नम्बर 2985/1036 व 1033, 1034, 1035, 2984/1036, 2987/1036, 2981/1032, 2987/1036 की आराजी के मध्य माठ वादग्रस्त होने से प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है।

—: आदेश :—

6. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार रानीवाडा को आदेश दिया जाता है कि सरहद मौजा रानीवाडा खुर्द के खसरा नम्बर 2985/1036 रकबा 0.63 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 1033, 1034, 1035, 2984/1036, 2987/1036, 2981/1032, 2987/1036 की आराजी के मध्य माठ की पैमाईश कर सीमाज्ञान करवाकर पत्थर गड्डी हेतु एक कमेटी का गठन करवा कर 7 दिवस में पालना प्रस्तुत करें। एवं आप द्वारा गठित टीम को निर्देशित करें कि दोनों पक्षों को सूचित कर उनके रूबरू मोमियॉ नक्शा ट्रेस सहित लट्ठा नक्शा से पैमाईश करें, तथा सीमांकन कर पत्थर गड्डी करवायें। इस आदेश की पालना हेतु आदेश की प्रति तहसीलदार रानीवाडा को भेजी जावें। पक्षकारान अपना—अपना खर्चा वहन करें।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(भागीरथ राम)
उपखण्ड अधिकारी
रानीवाडा जिला—जालोर

Signature Not Verified

निर्णय आज दिनांक 04.01.2024 को मेरे द्वारा इजलाज सुनाया गया।

Digitally signed by Bhagirath Ram
Date: 2024.02.02 14:37:47 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
रानीवाड़ा जिला—जालोर